संख्या- 14 /2020/ 638/अड़तीस-7-2020-20नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2020

विषयः- चेकडैम की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जनपदों में विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं विन्ध्य क्षेत्र के जनपदों एवं आगरा मण्डल के जनपदों में विभिन्न विभागों द्वारा चेकडैम का निर्माण किया गया है। चेकडैम का निर्माण करने वाले विभाग मुख्यतः लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास विभाग, सिंचाई विभाग तथा भूमि संरक्षण एवं जल संसाधन विभाग आदि है। इन विभागों द्वारा पूर्व में बनाये गये चेकडैम काफी सिल्टेड हो गयी है, जिसकी वजह से उनकी जल संचयन/संग्रहण की क्षमता कम हो गयी है अथवा निर्मित चेकडैम पूर्णतः अनुपयोगी हो गये है। इस सम्बन्ध में सभी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड में निर्मित सभी चेकडैम की सूची तैयार कराकर उनके एक बार डिसिल्टिंग कार्य का आगणन बनाते हुए मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करा सकते हैं। चूंकि जल-संचयन मनरेगा के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है, अतः यह कार्य मनरेगा लेबर बजट के अन्तर्गत सम्मिलित होगा, अन्यथा की स्थिति में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की सूची में इसे नियमानुसार सम्मिलित करायें तथा तत्काल इस पर कार्य प्रारम्भ करें। चूंकि यह कार्य जून माह में ही किया जा सकता है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

2- कतिपय चेकडैम छोटी मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी हो गये होंगे, उन स्थितियों में उनका आगणन बनाते हुए मरम्मत कराकर उपयोगी बनाने का कार्य भी किया जा सकता है। डिसिल्टिंग का कार्य चेकडैम वियर से लेकर पीछे जहॉ तक जल-भराव होता है, पूरे क्षेत्र की एक बार डिसिल्टिंग करायी जाय। इन्हीं स्थानों पर वर्षा ऋतु में नदी अथवा नाले के दोनों तरफ निकाले गयी सिल्ट पर वृक्षारोपण का कार्य भी कराया जा सकता है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 14 /2020/638(1) /अडतीस-7-2020तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2- अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in